न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—361/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/361)

1. ओमप्रकाश पुत्र सुजाण जाति खारोल
2. घनश्याम सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत
3. लीली देवी पत्नि श्योजी जाति खारोल
4. देवाराम पुत्र श्योजी जाति खारोल
5. दशरथ पुत्र श्योजी जाति खारोल
6. रणजीत पुत्र श्योजी जाति खारोल
7. रामकन्या पत्नि सुजाण जाति खारोल
8. सांवरा पुत्र भागीरथ जाति खारोल

समस्त निवासी ग्राम नागोला, तहसील भिनाय जिला केकडी। अपीलांट्स

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र जयनारायण, जाति सोनी निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भिनाय केकडी जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 98/2022

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—28.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। जिस पर वाद पत्र दिनांक 3.8.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं नोटिस जारी करने बाबत इबारत अंकित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 7.9.2022 नियत कर दी गई एवं नोटिस जारी करने बाबत् फर्द अहकाम की पुस्त पर कोई नोट अंकित नहीं किया गया एवं ना ही नोटिस जारी करने बाबत् कोई आदेश अंकित किया गया व दिनांक 7.9.2022 से पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.10.2022 नियत की गई एवं दिनांक 12.10.2022 को बिना नोटिस तामील कराये

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बगैर एवं बिना नोटिस तामील इंतजार अंकित किये बगैर सीधे ही दिनांक 12.10.2022 को यह अंकित कर दिया कि प्रतिवादीगण की तामीलशुदा नोटिस प्राप्त हैं व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित हैं तत्पश्चात पत्रावली में वास्ते जवाब सरकार हेतु नियत किया गया व दिनांक 6.12.2022 को राज0 पैरोकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया व दिनांक 6.12.2022 को ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने का आदेश दिनांक 6.12.2022 को पारित कर दिया। तत्पश्चात अंतिम डिक्री के बाबत भी ना तो उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा कोई नोटिस अपीलांट्स को जारी किये गए एवं ना ही कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस अपीलांट्स को जारी किया गया। इस प्रकार अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस जारी किये बगैर नायब तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 3.10.2023 को पारित कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने बिना प्रार्थीगण को नोटिस तामील कराये बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.12.2022 पारित कर दी तत्पश्चात दिनांक 3.10.2023 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जिसकी प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण को दिनांक 29.10.2023 को हल्का पटवारी ने अवगत कराया कि आपके प्रकरण में फैसला हो गया है तब अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात प्रार्थीगण खेती बाडी के कार्य में व्यस्त हो गये जिससे अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके। जो कि कृषि कार्य की आत्यांतिक आवश्यकता होने से उपरोक्त अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। चूंकि उपरोक्त कारण सदभाविक होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद अंकन किए गए है, उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा प्रार्थीगण प्रस्तुत अपीलांट को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे तलवी हेतु नोटिस जारी किए गए जो दिनांक 12.10.2022 की आदेशिका अनुसार तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रस्तुत प्रार्थीगण/अपीलांट अनुपस्थित रहे है जिस बाबत न्यायहित में जवाब व उपस्थिति बाबत पुनः अवसर प्रदान किया व इसके पश्चात पेशी दिनांक 4.11.2023, 15.11.2023, 23.11.2023 तक उपस्थिति एवं जवाब हेतु अवसर दिया जाता रहा है पुनः आवाज लगाई जाकर एकतरफा कार्यवाही कर जवाब बन्द कर प्राथमिक डिक्री पक्षकारान के मध्य मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर हक हिस्से अनुसार विभाजन किए जाने हेतु पारित की गई है एवं इसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पक्षकारान की उपस्थिति मे अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसमें स्वयं अपीलांट संख्या 2 घनश्याम पुत्र शंकरसिंह के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट दिनांक 9.2.2023 मे किए हुए है। इसके पश्चात दिनांक 3.10.2023 को अंतिम निर्णय व डिक्री नियम 18 से 21 की अनुपालना मे बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर विधिवत रूप् से पारित की गई है। जिससे उक्त मद में वर्णित कथन मिथ्या व बेबुनियाद है। एकमात्र पटवारी हल्का से दिनांक 29.10.2023 को प्रकरण मे फेसले होने बाबत जानकारी होने का कथन आधारहीन होने से उक्त मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद अंकन किए गए है। पूर्व मद में वर्णित कथनानुसार व विचारण न्यायालय की आदेशिका अनुसार विधिवत नोटिस देकर प्रार्थीगण/अपीलांट की तामिली कराई जाकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर निर्णय व डिकी पारित किए गए है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद अंकन किए गए है। मद संख्या 2 मे वर्णित तथ्य दिनांक 29.10.2023 को पटवारी हल्का से जानकारी होने के उपरान्त भी अपील दिनांक 19.12.2023 को मियाद बाधित लगभग 50 दिवस पश्चात प्रस्तुत की गई है। जिससे उक्त कारण युक्तियुक्त व सदभाविक होने बाबत कथन मिथ्या है एवं मियाद क्षमा योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने अपने में निहित अधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट्स को तामील कराए बगैर एक तरफा तौर पर एक तरफा निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी ने इस बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि न तो अपीलांट्स को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गया एव ना ही लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मुर्तिब करते समय कोई नोटिस जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष सिर्फ बंटवारे का वाद था। ऐसी स्थिति में बंटवारे के वाद में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार/लैण्ड होल्डर द्वारा ही बनाया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार नागोला द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब कर दिये गए जो कि विधिक दृष्टि से अवैध है एवं न ही नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट्स को बरवक्त मुर्तिब बंटवारा प्रस्ताव कोई नोटिस जारी किया गया बल्कि एक तरफा तौर पर बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी किये गए विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से अंतिम निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के नाम रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से दर्ज है व अपीलांट्स उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में बिना रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कानूनन अंतिम निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर जो अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072 से 2075 में विवादित आराजी मुतनाजा बडौदा बैंक स्थानीय शाखा नागोला में रहन दर्ज है ऐसी स्थिति में बिना बैंक को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर एवं बैंक को बिना सुनवाई का अवसर दिये कानूनन निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रहन दर्ज होने के बावजूद भी बैंक को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर जो अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है वह अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किए जाने से प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2023 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम नागोला पटवार हल्का नागोला तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता सं. 47 में दर्ज खसरा नं. 1068 रकबा 0.89, 1069 रकबा 0.87 किता–2 कुल रकबा 1.76 हैं० भूमि वादी, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा हैं तथा अपने इसी हिस्से अनुसार वादी अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 8 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी स.1 लगायत 8 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

संयुक्त आराजीयात में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का विधिवत विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– डीएनजे 2016(1), आरआरटी 2019(1) 619, आरबीजे 1995(2) 83, आरबीजे 1996(3) 341, आरबीजे 1996(3) 436, डीएनजे 2009(एस0सी) 934, डीएनजे 2009 (एस0सी)428, आरआरटी 2003 (2)1142.

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 3.10.2023 को पारित कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स को नोटिस तामील कराए बगैर एक तरफा तौर पर निर्णय पारित किया है। बंटवारे के वाद में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार/लैण्ड होल्डर द्वारा ही बनाया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार नागोला द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब कर दिये गए जो कि विधिक दृष्टि से अवैध है। हमारे द्वारा जब अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों का परीक्षण किया गया तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे तथा अपीलांट द्वारा नोटिस तामील भी हुए परंतु बावजूद सूचना के अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा नोटिस बाबत कहे गए कथन सत्य प्रतीत नहीं होते है। अपीलांट द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बाबत कहे गए कथन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार किए गए बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 9.2.2023 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय विधिक त्रुटि कारित की गई है। क्यों कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव नायब तहसीलदार नागौला द्वारा पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक के साथ तैयार किया गया है जो कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किए बगैर तैयार किया जाकर तहसीलदार को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा निर्णय पारित किया गया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी बंटवारा प्रस्ताव अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार होता है जिसके तहत् प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बराबर हिस्सा मिलता है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के तहत् नहीं किया गया है तथा तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

केवल नायब तहसीलदार, नागौला, पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, भिनाय को प्रेषित किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 3.10.2023 पारित किया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है चूंकि कि उक्त निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटियां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.05.2025 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner